कार्यालय, अंचल अधिकारी अनगड़ा, राँची।

विविद वाद सं0– 08/2022

आदेश की क्रम सं0 एवं तिथि	आदेश पत्रक	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी
12.10.22	आवेदक देवेन्द्र नाथ गोस्वामी वो राजेन्द्र दास गोस्वामी, पिता– स्व0 भदर दास गोस्वामी एवं श्रीमति रीना देवी, पति– कामेश्वर महतो सभी निवास ग्राम– मसनिया, थाना– अनगड़ा जिला– राँची के द्वारा एक लिखित आवेदन दिया गया है कि मौजा– मसनिया के खाता सं0– 73, प्लॉट सं0– 1210 एव 1259 क्रमशः रकबा– 14 डी0 एवं 12 डी0 इनकी खरीदगी भूमि है। जिनपर विपक्षी 1. श्री मतियस मुण्डा, पिता– स्व0 पियुस मुण्डा, 2. श्री विनुस मुण्डा, पिता– श्री मतियस मुण्डा, 3. श्री निरज मुण्डा वो सीमोन मुण्डा वो अजय मुण्डा सभी के पिता– स्व0 बिरसा मुण्डा एवं 4. श्री गोबिन्द मुण्डा, पिता– स्व0 गुजरू मुण्डा सभी निवास ग्राम– मसनिया, थाना– अनगड़ा राँची के द्वारा इनकी खरीदगी भूमि पर अवैध रूप से मकान का निर्माण किया जा रहा है। संबंधित राजस्व–उप–निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त करें। उभयपक्ष को जमीन दावा संबंधी कागजात के साथ उपस्थित होकर पक्ष रखने के लिए नोटिस निर्गत करें। अभिलेख दिनांक– 22.10.2022 को उपस्थापित करें। 12/10/22 अंचल अधिकारी अनगड़ा, राँची।	
22.10.22	अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष उपस्थित है। विपक्षी के द्वारा प्रश्नगत् भूमि से संबंधित आर0 एस0 खतियान की छायाप्रति दाखिल किया है। प्रथम पक्ष निबंधित केवाला की छायाप्रति दाखिल किया हैं। दोनो पक्षों को सुना। राजस्व–उप–निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन का अवलोकन किया। प्रतिवेदनानुसार प्रश्नगत् भूमि रिवीजनल सर्वे खतियान में सोमरा पहान वल्द भदवा पहान जाति मुण्डा दर्ज है। खाता सं0– 73 प्लॉट सं0– 1210 एवं 1259	

क्रमशः रकबा– 14 डी0 एवं 12 डी0 पंजी II के भाग– 1 पृष्ठ सं0– [illegible] दिवाकर पति काशीनाथ के नाम से दर्ज है। इनके द्वारा यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि स्थानीय जाँच के क्रम में ग्रामीणों के द्वारा बताया गया कि प्रश्नगत् भूमि पर दखल–कब्जा एवं दावा को लेकर दोनो पक्षों के बीच विवाद है तथा शांति भंग होने की संभावना है। इन्होनें शांति–व्यवस्था बनाए रखने हेतु वर्त्तमान में द0 प्र0 स0 की धारा– 144 के अन्तर्गत कार्रवाई हेतु अनुशंसा किया है। प्रथम पक्ष (आवेदकगण) के द्वारा प्रश्नगत् भूमि से संबंधित निबंधित केवाला सं0– 1609, दिनांक– 28.02.2022 बिक्रेता शांति देवी, पति– स्व0 नरसिंह दास, पिता– स्व0 दिवाकर पति, दादा– स्व0 काशीनाथ पति, जाति– सामान्य वर्ग निवासी– ग्राम कलिगा, पो0– बसिया जिला– गुमला एवं क्रेता– 1. देवेन्द्र नाथ गोस्वामी वो राजेन्द्र दास गोस्वामी, दोनो के पिता– स्व0 भदर दास गोस्वामी, दादा– स्व0 रघुदास गोसाई, जाति– सामान्य वर्ग, निवासी– ग्राम– मसनिया एवं अन्य आवेदक के द्वारा भी अपने हिस्से की खरीदगी भूमि से संबंधित निबंधित केवाला की छायाप्रति दाखिल किया है। साथ ही, आवेदक के द्वारा अंचल कार्यालय, अनगड़ा के विविध वाद सं0– 12 आर 8 वर्ष– 78–79 में दिनांक– 11.4.79 में पारित अंतिम आदेश एवं श्री बी0 एम0 मुण्डा, विशेष पदाधिकारी, राँची के न्यायालय के एस0 ए0 आर0 वाद स0– 262/79 पारसनाथ पहान बनाम बिमला देवी वगैरह में दिनांक– ~~881~~ 8.6.81 को पारित आदेश की छायाप्रति दाखिल किया है।

दोनो पक्षों के द्वारा दाखिल कागजातों, राजस्व–उप–निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि दोनों पक्षों के द्वारा प्रश्नगत् भूमि पर हक हकीयत एवं दखल– कब्जा को लेकर विवाद है जिसका निबटारा इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत नहीं है। दोनो पक्ष चाहे तो सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर सकते है। साथ ही, प्रश्नगत् भूमि पर दखल– कब्जा एवं दावा को लेकर दोनो पक्षों के बीच विवाद है, जिससे शांति भंग होने की संभावना है ऐसी परिस्थिति में प्रश्नगत भूमि पर किसी भी प्रकार की निर्माण एवं दावा को लेकर शांति– व्यवस्था बनाए रखने हेतु द0 प्र0 सं0 की धारा– 144 के अन्तर्गत कार्रवाई हेतु प्रस्ताव अनुमण्डल दण्डाधिकारी, सदर, राँची को भेजें।

अतः इसी निरूपण के साथ इस वाद की कार्रवाई को समाप्त किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

22/10/22
अंचल अधिकारी,
अनगड़ा राँची।

22/10/22
अंचल अधिकारी
अनगड़ा राँची।

Digitally signed by PUSHPAK RAJAK
Date: 2023.01.30 13:59:27 +05:30
Location: 192.168.1.35